पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विधिक सिविल प्रकरण. क्रमांक 280/2006

आवेदकगण: छत्तीसगढ राज्य एवं अन्य

बनाम

अनावेदकगण: बेद राम वर्मा एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु — 5.05.2008 के दिन सूचीबद्ध करें I

सही/-

श्री सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

(04.05.2008)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विधिक सिविल प्रकरण क्रमांक 280/2006

आवेदकगण : प्रतिवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
3. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

अनावेदकगण : याचिकाकर्ता:

1. बेद राम वर्मा, पिता- स्व. भोला नाथ वर्मा, निवासी- शिक्षक कॉलोनी, बजरंग वार्ड, डाकघर- नेवरा तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.).
2. बृज भूषणलाल वर्मा, पिता- स्व. लक्ष्मण सिंह वर्मा, निवासी- दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 7, तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.).
3. राजकुमार सेन, पिता- श्री सुंदरलाल सेन, निवासी- शिक्षक कॉलोनी, तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग.).
4. कन्हैयालाल वर्मा, पिता- स्व. काशीराम वर्मा, निवासी- वार्ड क्रमांक 6, मकान क्रमांक 338, डॉ. पैकरा क्लिनिक के पास, खरौरा रोड, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.).

5. गिरिजालाल रजक, पिता- स्व. मुतरुलाल रजक, निवासी- शंकर वार्ड, भाटापारा, जिला रायपुर (छ.ग.).

6. कुलेश्वर प्रसाद साहू, पिता- स्व. कलाराम साहू, निवासी- एम.आई.जी. 1/5, पटपर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भाटापारा, जिला रायपुर (छ.ग.).

7. रामदास मणिकपुरी, पिता- श्री ठुकेलदास मणिकपुरी, निवासी- हाथीपारा, भाटापारा, तरेंगा नाका क्रमांक 1, सीएसईबी कार्यालय के पास, भाटापारा, जिला रायपुर (छ.ग.).

8. कृष्ण मुरारी अग्रवाल, पिता- स्व. परम्सुख अग्रवाल, निवासी- शंकर वार्ड, भाटापारा (मेन हिन्दू स्कूल के पीछे), जिला रायपुर (छ.ग.).

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. कमलेश कुमार तिवारी, पिता- स्व. कुबेरनाथ तिवारी, निवासी- स्टेशन वार्ड, माता देवाला मंदिर के पास, भाटापारा, जिला रायपुर (छ.ग.).

10. अशोक कुमार सोनी, पिता- स्व. झन्नालाल सोनी, निवासी- एपीओ सिमगा (थाना के पास), जिला रायपुर (छ.ग.).

11. रामप्यारा पटेल, पिता- स्व. परसराम पटेल, निवासी- इन्दिरा कॉलोनी, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.).

12. भारतलाल तिवारी, पिता- स्व. दीनप्रसाद तिवारी, निवासी- वार्ड क्रमांक 4, कमल कॉलोनी, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.).

13. पी.वी. रंगा प्रसाद राव, पिता- पी.के. राव, पालका वेंकट, निवासी- कमल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 4, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.).

14. महावीर प्रसाद पटेल, पिता- श्री फुदुराम पटेल, निवासी- एपीओ अमेरा, जिला रायपुर (छ.ग.).

15. रामकुमार सोनी, पिता- स्व. भगतराम सोनी, निवासी- संजय कॉलोनी, वार्ड 5, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.).

16. सुरेन्द्र कुमार साहू, पिता- स्व. तिजऊ राम साहू, निवासी- नयापारा, वार्ड क्रमांक 5, आजाद चौक, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.).

17. भारतदास मणिकपुरी, पिता- मनोहरदास, निवासी- संजय कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 5, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.).

18. तिलकराम, पिता- श्री भैयाराम, निवासी- शासकीय कन्या महाविद्यालय के पीछे, आईटीआई, बलौदाबाजार, जिला रायपुर (छ.ग.).

19. डोरिलाल वर्मा, पिता- स्व. लक्ष्मण सिंह वर्मा, निवासी- एपीओ सरायगांव, जिला रायपुर (छ.ग.).

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(रिट याचिका क्रमांक 248/2005 में पारित आदेश दिनांक 23-9-2005 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन)

एकलपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति : श्री किशोर भादुडी, अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, राज्य के लिए ।

श्री अशोक दास वैष्णव, श्री समीर साहू के साथ, अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 5 मई, 2008 को पारित)

1. यह पुनर्विलोकन याचिका आवेदकों द्वारा दायर की गई है, जिसमें उन्होंने इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 248/2005 (बेद राम वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में दिनांक 23-9-2005 को पारित आदेश के पुनर्विलोकन की प्रार्थना की है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण (जिन्हें आगे 'रिट याचिकाकर्ता' कहा जाएगा) ने रिट याचिका क्रमांक 248/2005 प्रस्तुत की, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि प्रतिवादीगण (जिन्हें आगे 'पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता' कहा जाएगा) को परमादेश रिट एवं निदेश जारी कर रिट याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए तथा वेतन के अंतर की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। दिनांक 2-3-2005 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं द्वारा, अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद, जवाब दाख़िल नहीं किया गया और अंतिम सुनवाई की तिथि पर, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि रिट याचिकाकर्ता दिनांक 16-3-2001 के आदेश/पत्र के अनुसार संशोधित वेतनमान पाने के हकदार हैं। परिणामस्वरूप, दिनांक 23-9-2005 (अनुलाग्नक A/1) को आदेश पारित किया गया, जिसके अंतर्गत पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं को यह निर्देशित किया गया कि रिट याचिकाकर्ताओं को दिनांक 16-3-2001 के आदेश के अनुसार संशोधित वेतनमान के आधार पर वेतन का भुगतान, आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रतापूर्वक किया जाए। दिनांक 23-9-2005 का यह आदेश, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं द्वारा, नियत अवधि में पालन नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आदेश से असंतुष्ट होकर, रिट याचिकाकर्ताओं ने अवमाननाकर्ता याचिका क्रमांक 68/2006 दिनांक 31-3-2006 को प्रस्तुत की, जिस पर दिनांक 4-4-2006 को प्रतिवादीगण/अवमाननाकर्ताकर्ता-प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया, जो 25-4-2006 को वापसी योग्य था। प्रतिवादीगण/अवमाननाकर्ता-प्रतिवादियों ने, इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 248/2005 में दिनांक 23-9-2005 को पारित आदेश में दिए गए छह सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर, कोई कार्यवाही नहीं की। अवमाननाकर्ता नोटिस प्राप्त होने के पश्चात, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 19-4-2006 को पुनर्विलोकन याचिका, विलंब के लिए क्षमा हेतु आवेदन सहित प्रस्तुत करा। विलंब-क्षमा करने हेतु आवेदन में यह कारण दर्शाया गया कि लोक निर्माण विभाग, संभाग, रायपुर के कार्यपालन अभियंता ने संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को संशोधित वेतनमान प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया था तथा पश्चातवर्ती, संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन ने शासन को यह सूचित किया कि रिट याचिकाकर्ता दिनांक 16-3-2001 के आदेश/पत्र के अनुसार पात्र नहीं हैं। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग, रायपुर ने दिनांक 9-1-2006 को आदेश पारित कर 16-3-2001 के आदेश को निरस्त कर दिया और इस प्रकार विलंब सद्भावी था। विलंब-हेतु क्षमा करने आवेदन पर अनावेदक/रिट याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के पालन में, अनावेदक/रिट याचिकाकर्ताओं ने अपना जवाब प्रस्तुत कर कहा कि पुनर्विलोकन याचिका केवल अवमाननाकर्ता से बचने के लिए दायर की गई है, क्योंकि अवमाननाकर्ता याचिका दिनांक 31-3-2006 को प्रस्तुत की गई थी और अवमाननाकर्ता याचिका पर दिनांक 4-4-2006 को नोटिस जारी किया गया था। आवेदकगण/पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विलोकन याचिका में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 2-11-2006 को स्वीकृत कर लिया गया और तदनुसार संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की कि पुनर्विलोकन याचिका को सात माह से अधिक की अनुचित, अस्पष्टीकृत एवं जानबूझकर करित विलंब के आधार पर निरस्त किया जाए। यह सत्य है कि कुछ आदेश पारित किया गया, जो इस न्यायालय के दिनांक 23-9-2005 के आदेश को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

टालने/निरर्थक बनाने के समान था, किन्तु उसी का परीक्षण विचाराधीन अवमाननाकर्ता याचिका क्रमांक 68/2006 में किया जा सकता है।"

4. विलंब क्षमा करने की संकल्पना के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बेंगलुरु बनाम बी.एम. कृष्णमूर्ति*** [1]के प्रकरण में निम्नलिखित अवलोकन किया था :

> ".....समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि राज्य को अपने कुछ अधिकारियों की चूक के कारण दण्डित नहीं किया जाना चाहिए तथा विशेष परिस्थितियों में अपीलों को दायर करने में हुए विलंब को निराकृत करने हेतु पर्याप्त आधार मौजूद हैं।"

1. (1985) 1 SCC 469

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उपर्युक्त निर्णय के अनुप्रयोग तथा विलंब-हेतु क्षमा करने संबंधी लेखाप्रमाण को स्पष्ट करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***जी. रामेगोवड़ा (प्रमुख) एवं अन्य बनाम विशेष भू-अधिग्रहण अधिकारी, बेंगलुरु*** [2]के प्रकरण में निम्नलिखित अवलोकन किया :

> "16. नि:संदेह, परिसीमा विधि निजी नागरिक और शासकीय प्राधिकारी, दोनों के लिए समान है। सरकार को भी, अन्य पक्षकारो की तरह, अपने अधिकारियों के कृत्य अथवा अकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। परंतु, जब सरकार यह दर्शा देती है कि उसके अधिकारियों अथवा अभिकर्ताओं के छल या गलत भावना के कारण लोकहित प्रभावित हुआ है और जब यह स्पष्ट हो कि वे अधिकारी स्वयं सरकार के विरुद्ध आचरण कर रहे थे, तब मामले को कुछ भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक होता है।"
>
> ".....ऐसे मामलों में, सरकार और निजी पक्षकारों को सभी दृष्टिकोणों में एक ही आधार पर खड़ा करना अन्यायपूर्ण एवं अव्यावहारिक प्रतीत होगा.....।"

6. न्याय के हित में, जहाँ कि शासकीय अधिकारी लोक-धन के संरक्षक होते हैं और अधिकारियों की लापरवाही अथवा त्रुटिपूर्ण आचरण के कारण लोक-धन व्यर्थ नहीं

किया जा सकता, जिन्होंने मूल याचिका में जवाब दाखिल करने में असफल रहे और पश्चातवर्ती लम्बे विलंब के पश्चात पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की; ऐसे में मामले के सभी पहलुओं, विशेषकर लोक-धन की बर्बादी को दृष्टिगत रखते हुए, यह उचित और न्यायोचित होगा कि मुद्दे का हेतु क्षमा करने उसके गुण-दोष पर किया जाए। अतः पुनर्विलोकन याचिका दाखिल करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है।"

7. श्री किशोर भादुड़ी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, जो आवेदकगण/पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए, ने यह तर्क किया कि रिट याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, विशेष रूप से यह तथ्य कि दिनांक 16-3-2001 (अनुलग्नक पी/1) का पत्र, जो कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.2, रायपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप-संभाग क्र.2 को लिखा गया था, उसमें प्रस्तावित वेतनमान संशोधन का उल्लेख मात्र था, जिसका परीक्षण कोषालय, लेखा एवं पेंशन के संयुक्त संचालक, रायपुर द्वारा किया जाना शेष था और उक्त परीक्षण के बाद ही सेवा पुस्तिका में उपयुक्त प्रविष्टि की जानी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. (1988) 2 SCC 142

इसके पश्चात दिनांक 23-4-2001 का पत्र कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.2 द्वारा उप-संभागीय अधिकारी को भेजा गया था, जिसमें सेवा पुस्तिकाएँ संकलित कर संयुक्त संचालक, कोषालय, लेखा एवं पेंशन, रायपुर को भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। पश्चातवर्ती कार्यपालन अभियंता ने 13 टाइमकीपरों (स्थल सहायकों) अर्थात् रिट याचिकाकर्ताओं की सेवा पुस्तिकाएँ संयुक्त संचालक, कोषालय, लेखा एवं पेंशन, रायपुर को दिनांक 25-3-2001 (दस्तावेज क्र.3) के पत्र के माध्यम से प्रेषित कीं। संयुक्त संचालक ने उक्त पत्र पर यह टिप्पणी करते हुए सभी सेवा पुस्तिकाएँ वापस लौटा दीं कि राज्य शासन से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। फलस्वरूप, सभी सेवा पुस्तिकाएँ कार्यपालन अभियंता को वापस कर दी गईं। दिनांक 30-4-2001 को पुनः कुछ टाइमकीपरों (स्थल सहायकों) की सेवा पुस्तिकाएँ भेजी गईं, जिन्हें पुनः वापस कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 4-4-2005

(दस्तावेज 6) के पत्र द्वारा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग तथा सचिव, लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सूचित किया कि टाइमकीपरों के वेतनमान संशोधन हेतु आवेदन शासन द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। रिट याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर ऐसे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए, जो यह स्थापित करने के लिए आवश्यक थे कि उन्हें वास्तव में दिनांक 16-3-2001 के पत्रानुसार कोई वेतनमान स्वीकृत हुआ था या नहीं, जबकि उक्त पत्र महज़ एक अनुशंसा थी और शासन ने कार्यपालन अभियंता द्वारा की गई अनुशंसा को अस्वीकार कर दिया था। राज्य के अधिवक्ता की यह भूल रही कि उन्होंने सभी सुसंगत दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए और यह स्वीकार कर लिया कि रिट याचिकाकर्ताओं को दिनांक 16-3-2001 के पत्रानुसार लाभ दिए जा सकते हैं।"

8. दिनांक 23-9-2005 का आदेश, जिसका पुनर्विलोकन अपेक्षित है, जब इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया, उसके पश्चात कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाज़ार ने दिनांक 9-1-2006 (अनुलाग्नक A/3) को पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 16-3-2001 को निरस्त कर दिया, बिना इस तथ्य को समझे कि एक बार जब उक्त आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, तो उसे निरस्त करने का अधिकार उसके पास नहीं था, जब तक कि दिनांक 23-9-2005 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संशोधन प्राप्त न किया जाए। इसके अतिरिक्त, विभागयी संयुक्त संचालक, कोषालय, लेखा एवं पेंशन, रायपुर ने दिनांक 6-1-2006 (अनुलाग्नक A/2) का पत्र कार्यपालन अभियंता को प्रेषित किया, जिसमें टाइमकीपरों (रिट याचिकाकर्ताओं) के वेतनमान के संबंध में उल्लेख किया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया कि यह लोक धन है और अधिवक्ताओं तथा अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह लोक धन, जिसका संरक्षण अधिकारी करते हैं, बिना विधिवत स्वीकृति अथवा औचित्य के व्यय नहीं किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क किया कि वेतनमान रुपये 169-300, जिसका उल्लेख याचिका में पाण्डेय के मामले के रूप में 1-1-1974 से प्रभावशील बताया गया है, वास्तव में तकनीकी शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारियों के लिए की गई अनुशंसा

थी तथा उक्त अनुशंसा को राज्य शासन द्वारा किसी भी विभाग के कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारियों के लिए कभी विचार नहीं किया गया। वेतनमान का पुनरीक्षण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी राज्य शासन है, न कि कार्यपालन अभियंता, जिसने अपने अधिकार-क्षेत्र से परे जाकर निर्णय लिया। पाण्डेय और चौधरी वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन के संबंध में कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है। रिट याचिकाकर्ता निर्विवाद रूप से कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारी हैं, जो टाइमकीपर (स्थल सहायकों) के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंत में, शासकीय अधिवक्ता (अतिरिक्त महाधिवक्ता) ने यह तर्क किया कि यह पुनर्विलोकन याचिका नए तथ्यों की खोज के आधार पर, जो रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके, तथा पर्याप्त कारणों के आधार पर, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 47, नियम 1 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय है, स्वीकार की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. श्री अशोक दास वैष्णव, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क करते हुए यह निवेदन किया कि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने पश्चातवर्ती आदेश पारित कर न्यायालय के आदेश को निष्फल कर, विधि के अधिकार का जानबूझकर उल्लंघन किया है। आगे यह तर्क किया गया कि मुख्य याचिका की सुनवाई के समय पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने न तो कोई प्रतिवेदन (रिटर्न) प्रस्तुत किया और न ही याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का विरोध किया। अतः इस चरण पर इस न्यायालय को प्रकरण की पुनः सुनवाई की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा पारित अनेक निर्णयों में प्रतिपादित है। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कार्यपालन अभियंता की अनुशंसा वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप थी और राज्य शासन द्वारा उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए था। अधिवक्ता ने पत्र दिनांक शून्य (अनुलाग्नक NA-1) पर भी भरोसा किया, जिसमें कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर ने शासन, छत्तीसगढ़, लोक निर्माण विभाग, रायपुर के सचिव से कार्यभारित आकस्मिक टाइमकीपरों को वेतनमान पुनरीक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था। अधिवक्ता ने आगे आदेश दिनांक 20-6-1999 (अनुलाग्नक NA-3)

पर भी भरोसा किया, जिसके द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, संभाग क्रमांक-1 ने गैंगमैनों को 1-1-1999 से रुपये 2605/- का वेतनमान स्वीकृत किया था और यह निवेदन किया कि आदेश दिनांक 16-3-2001 के अनुसार वेतनमान का स्वीकृति प्रदान करना न्यायसंगत, उचित एवं विधिसम्मत है।

11. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा वादपत्रों एवं उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

12. यह ऐसा मामला है, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज न तो याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए और न ही पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं द्वारा। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने रिटर्न प्रस्तुत न करने का विकल्प चुना और सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा किए गए सभी तर्कों को उनके अधिवक्ता ने स्वीकार कर लिया। यह सत्य है कि सामान्य परिस्थितियों में, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, जिन्होंने समय पर कार्यवाही नहीं की और मूल रिट याचिका की सुनवाई के समय न तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और न ही प्रतिपादनों का विरोध किया। इस पर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह तर्क किया कि सरकार पहले ही दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुकी है और कर्मचारियों की त्रुटि के कारण लोक धन को बिना किसी औचित्य अथवा राज्य सरकार की विधिवत् स्वीकृति के वितरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भलीभाँति स्थापित विधि है कि पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार वहाँ उपलब्ध है जहाँ निर्णय के समय सभी सुसंगत सामग्री न्यायनिर्णयन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई हो। नये दस्तावेजों की खोज के आधार पर तथा न्याय के विफल होने से रोकने हेतु पर्याप्त कारण होने पर त्रुटियों का संशोधन किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **राजेन्द्र सिंह बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं अन्य** [3] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि :

3. **AIR 2006 SC 75**

'यह विधि भलीभाँति स्थापित है कि उच्च न्यायालय के अपने आदेश के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रत्येक पूर्ण अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में निहित होती है ताकि न्याय की विफलता को रोका जा सके।'"

14. **बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, इंडिया बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब** [4] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि :

'यह कहना भी सही नहीं है कि न्यायालय, अपनी पुनर्विलोकन अधिकारिता का प्रयोग करते समय किसी भी परिस्थिति में बाद में घटित हुई घटना को विचार में नहीं ले सकता।

15. **फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एस.ई.आई.एल. लिमिटेड व अन्य** [5] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि :

'25. अतः हम श्री शरण की इस तर्क में कोई बल नहीं पाते कि पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय मूल धन पर ब्याज देने का निर्देश नहीं दे सकता था। एक रिट न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने पुनर्विलोकन अधिकार का प्रयोग करता है। इस अधिकार का प्रयोग करते समय यह केवल विधि का न्यायालय ही नहीं, बल्कि न्याय का न्यायालय भी होता है। यदि न्यायालय द्वारा किसी उचित दावे पर विचार करने में कोई स्पष्ट त्रुटि या चूक हुई हो, तो वह actus curiae neminem gravabit (न्यायालय का कोई कार्य किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा) के सिद्धांत सहित पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। हम इस बात की सराहना करते हैं कि माननीय न्यायाधीश ने अपनी भूल स्वीकार की और प्रतिवादियों को राहत प्रदान की।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **तमिलनाडु सरकार एवं अन्य बनाम एम. अनांचु आसारी एवं अन्य** [6] के मामले में, जिस पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने भरोसा किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि पुनर्विलोकन याचिका में तर्कों की गुणवत्ता पर पुनः सुनवाई करना अनुमन्य नहीं है और आवश्यक अभिलेख/सामग्री प्रस्तुत न करना निर्णय के पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता। तथापि, उक्त निर्णय वर्तमान मामले

के तथ्यों पर लागू नहीं होता क्योंकि स्वयं याचिकाकर्ताओं ने वे सभी आवश्यक सामग्री प्रस्तुत नहीं की थी, जो

4. **AIR 2005 SC 592**
5. **2008 3 SCC 440**
6. **2005 2 SCC 332**

याचिका में उठे विवाद के निपटारे हेतु सुसंगत थीं। अतः इस प्रकरण के तथ्यों में निर्णय के पुनर्विलोकन का आधार उपलब्ध है। यदि इस विषय का पुनर्विलोकन नहीं किया गया, तो यह न्याय की विफलता के समान होगा, जिसे रोकना इस न्यायालय का कर्तव्य है। इसलिए, पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार की जाती है।

17. कार्यपालन अभियंता एवं कोषालय, लेखा एवं पेंशन के संयुक्त संचालक के मध्य हुई पत्राचार तथा राज्य शासन द्वारा जारी अंतिम पत्र का परीक्षण करने पर यह भली भाँति स्थापित होता है कि कार्यपालन अभियंता द्वारा दिनांक 16-3-2001 को लिखे गए पत्र में अनुशंसित वेतनमान कोई स्वीकृत वेतनमान नहीं था, अपितु मात्र एक अनुशंसा थी। जब सेवा पुस्तिकाएँ आवश्यक प्रविष्टि हेतु संयुक्त संचालक, कोषालय, लेखा एवं पेंशन के पास भेजी गईं, तो उन्हें यह टिप्पणी करते हुए वापस कर दिया गया कि शासन द्वारा उक्त वेतनमान, जिसकी अनुशंसा कार्यपालन अभियंता ने की थी, स्वीकृत नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी, सामान्य प्रशासन विभाग (वित्त प्रकोष्ठ) ने अपने पत्र दिनांक 4-4-2005 (दस्तावेज 6), जो जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संबोधित था, में यह सूचित किया कि राज्य शासन ने न तो उक्त अनुशंसा स्वीकार की है और न ही कार्य-आयुक्त आकस्मिक कर्मचारियों/स्थलसहायिका अर्थात् याचिकाकर्ताओं के लिए संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. कोषालय, लेखा एवं पेंशन के संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा दिनांक 6-1-2006 (अनुलाग्नक एन-2) को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार, जिला रायपुर को संबोधित पत्र में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है

प्रति,

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण संभाग बलौदा बाजार, जिला-रायपुर

विषयः- स्थल सहायक के वेतन शोरूम/भुगतान निर्माण संबंध उच्च न्यायालय के आदेश अधिकारी (न्या. प्रा./05 छ.ग. शासन प्राधिकार वेदराम वर्मा एवं अन्य 18)

सन्दर्भ- आपका जिप.क./6310/का.भा./ दिनांक 29.12.2005

विषयांतर्गत इस कार्यालय के ज्ञाप.क./772/सं.सं.रा./वि.नि./05 दिनांक 23.12.2005 के कम में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2005 स्थल सहायक के विवादित वेतनमान 4500-125-7000/- को दिये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार स्थल सहायकों को निम्नानुसार वेतनमान दिया जाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क.	वेतनमान		प्रभावशील दिनांक	देय वेतनमान
1	पाण्डे वेतनमान		01-01-74	90-3-120-4-140-5-170
2	चौधरी वेतनमान		01.04.82	445-10-575-15-635
3	पुनः आरंभ वेतनमान	87	01.01.86	775-12-955-14-1025-15-1100-20-1200
4	पुनः आरंभ वेतनमान	90	01.01.86	825-15-900-20-1220
5	पुनः आरंभ वेतनमान	98	01.01.96	2750-70-3800-75-4400

उपर लिखित वेतनमान के अलावा वर्तमान में अन्य वेतनमान छ.ग.शासन द्वारा दिये जाने के आदेश नही है।

सहपत्रः- शून्य ।

सही/-

संभागीय संयुक्त संचालक,

कोष-लेखा एवं पेंशन

रायपुर (छ.ग.)"

19. उपरोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में, राज्य सरकार को किसी विशेष वेतनमान निर्धारण करने एवं याचिकाकर्ताओं को वेतन भुगतान करने हेतु कोई *परमादेश* अथवा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। अतः, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ankita Jangde, Advocate